43

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्र.– R-472-II/13

श्रीमति विमला पत्नि श्यामसुंदर यादव निवासी ग्राम मड़ोरपूर्वी तह. ओरछा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

.....निगरानीकर्त्ता/आवेदका

बनाम

1– प्रभु पुत्र मुलआ सौर
निवासी ग्राम देवगढ़ जिला दतिया(म.प्र.)

2– म.प्र. शासन

.....प्रतिनिगराकार/अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के तहत प्रतिकूल निर्णय न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 24/पुर्नविलोकन/2012–13 आदेश दिनांक 3–1–2013 से व्यथित होकर।

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नलिखित आधारों सहित प्रस्तुत है :–

(1) यह कि न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश नियम न्याय विधि सिद्धांतों एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है।

(2) यह कि न्यायालय द्वारा एकांकी दृष्टिकोण अपनाकर आदेश पारित किये हैं जो स्थिर रहने योग्य नहीं है।

(3) यह कि कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण में पुर्नविलोकन के निर्देशों का पालन नहीं किया है एवं मनमाने ढंग से पुर्नविलोकन के आधारों के विपरीत निष्कर्ष अंकित किये हैं जो स्थिर रहने योग्य नहीं है।

.....2

XXXIV(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 472/ ।।/2013 निगरानी जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-2-2017	आवेदिका की ओर से श्री के.के.द्विवेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ के प्रकरण कमांक 24/पुर्नविलोकन/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 3-1-2013 के विरूद्ध म.प्र.भू-राजस्व संहिता-1959 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि,ग्राम मडोर भाडा तहसील ओरछा स्थित भूमि खसरा नंबर 42/2/1 रकवा 2.023 हैक्टर के विकय अनुमति हेतु अनावेदक क-1 द्वारा कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर तत्कालीन कलेक्टर टीकमगढ द्वारा प्र0क0 8/अ-21/2008-09 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 1-7-2009 को आदेश पारित कर विकय की अनुमति प्रदान की गई। इस आदेश को कलेक्टर टीकमगढ ने म.प्र.भू.राजस्व संहिता-1959 की धारा-51 के तहत प्रकरण में पुर्नविलोकन किये जाने की अनुमति राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर से प्राप्त की गई व आदेश दिनांक 3-1-2013 से पूर्व में पारित आदेश दिनांक 1-7-2009 को निरस्त करते हुए अंतरण को शून्यवत धोषित किया। कलेक्टर के इसी आदेश से परिवेदित होकय यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि,अनावेदक क-1 द्वारा विधिवत् रूप से अपनी भूमि स्वामी स्वत्व की निजी भूमि विकय करने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी/कलेक्टर से प्राप्त करने हेतु विधिवत् आवेदन प्रस्तुत किया था जिसकी कलेक्टर ने तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से जांच करवाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया	

था। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूमि विकय की अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की थी और कलेक्टर ने निर्धारित गाइड लाईन के आधार पर विकय करने की अनुमति दी थी।

उनका यह भी तर्क है कि,कलेक्टर द्वारा बिना किसी आधार के यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भूमि का पूर्ण प्रतिफल नहीं दिया गया है कलेक्टर द्वारा दिनांक 1–7–2009 को विकय की अनुमति देने व तत्पश्चात निष्पादित विकय पत्र में प्रतिफल की कमी की कोई शिकायत विकेता द्वारा नहीं की गई है। इस कारण कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिविरूद्ध है।

4/ अनावेदक कमांक–1 सूचना उपरान्त अनुपस्थित ।

5/ अनावेदक कमांक–2 शासन की ओर से शासकीय पैनल अधिवक्ता ने कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–1–2013 को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कलेक्टर टीकमगढ द्वारा प्र0क0 8/अ–21/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 1–7–2009 को अनावेदक कमांक–1 के पक्ष में विकय की अनुमति प्रदान की है। आदेश दिनांक 1–7–2009 में यह कमी परिलक्षित होती है कि, आदेश पारित करते समय यह कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया था, कि कितनी कीमत में यह भूमि विकय की जावेगी। तथा किसी व्यक्ति द्वारा कय की जावेंगी। जबकि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा–165 में बने प्रावधान अनुसार जो आदिवासी वर्ग के व्यक्तियों की भूमि है उसमें कोई बेनामी द्वारा कय नहीं किया जायें, इसको सुनिश्चत किया जाना था। इसी आधार पर यह उक्त भूमि किस व्यक्ति को, कितनी कीमत में हस्तांतरित की जा रही है, स्पष्ट न होने से संभावना बन रही है कि आदिवासी गरीब व्यक्तियों को आंवटित की गई भूमि कम कीमत पर अन्य

व्यक्तियों द्वारा अपने नाम हस्तांतरित कराई जा सकती है। उपरोक्तानुसार परिवर्तित दर पर भूमि का विकय नहीं हुआ है और जो आदिवासी व्यक्ति है, उससे कम मूल्य पर जो केता है उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि कय की गई है तत्पश्चात केता द्वारा भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आदि करने की चेष्टा की गई है। जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि वास्तव में जो भूमि विकय करने के लिए जिस उद्धेश्य के लिए कार्यवाही की जानी चाहिये थी वह विकेता द्वारा नहीं किया गया, केता द्वारा इन्वेस्ट करके भूमि विकय की कार्यवाही कराई गई है। ताकि उस को बेशकीमति भूमि प्राप्त हो सके व बेशकीमति भूमि आदिवासी के नाम से तब्दील कर अपने नाम से करके उसमें परिवर्तित प्रोजेक्ट किया जा सकें। यह भूमि तहसील ओरछा की है जो झांसी के निकट होने से बेशकीमति है। अतः म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा–165(6 बी),(6 ई) के प्रावधान अनुसार कलेक्टर द्वारा प्र0क0 8/अ–21/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 1–7–2009 को कलेक्टर टीकमगढ द्वारा प्र0क0 24/पुर्नविलोकन/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 3–1–2013 द्वारा निरस्त करने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। तथा कलेक्टर, जिला टीकमगढ के प्रकरण कमांक 24/पुर्नविलोकन/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 3–1–2013 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। तत्पश्चात् प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर